संख्या-2/2015/513/18-2-2015-4(एस0पी0)/2010

प्रेषक

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 कानपुर।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2015

विषयः-विभागीय क्रय समिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों का नामित न करने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली लागू थी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती थी। पूर्व में मात्रा अनुबन्ध का कार्य भी उद्योग निदेशालय द्वारा किया जाता था किन्तु शासनादेश संख्या-2177एल/18-7-94-(15एसपी)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 एवं शासनादेश संख्या-708/18-5-98-15(एसपी)/92, दिनांक 08 जनवरी, 1999 द्वारा इसे विकेन्द्रीयकृत कर यह कार्य सभी विभागों को दे दिया गया है, केवल शासन के गृह विभाग के संबंध में यह व्यवस्था है कि यदि वह चाहे तो किसी वस्तु विशेष का मात्रा अनुबन्ध स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं अथवा चाहें तो उद्योग निदेशालय से अनुरोध कर मात्रा अनुबन्ध की कार्यवाही करा सकते हैं।

2- इसी प्रकार यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश की क्रय प्रक्रिया में बिजनेस प्रोसेस, रि-इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेन्ट तथा प्रोक्योरमेन्ट रिफार्म्स को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दर अनुबन्ध की व्यवस्था को शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-(4एसपी)/2010, दिनांक 31-3-2011 द्वारा समाप्त करते हुए सभी प्रकार की दर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध, सभी राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत कर दिया गया कि वह राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समस्त क्रय प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है, अतः अपने विभाग की क्रय समितियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रतिनिधि को नामित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रश्नगत समितियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जायेगा।

भवदीय

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।